झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–329 / 2019

मिथिलेश कुमार सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, सचिव (पद) और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए : श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए :

03 / दिनांकः03.03.2020

1. यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4673 / 2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 22.10.2018 को आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

2. यह कहा गया कि सी0एम0पी0 सं0 626 / 2018 दायर किया गया था, लेकिन आक्षेपित फैसले की प्रति संलग्न नहीं की गई थी, फलस्वरूप सिविल विविध याचिका को नए सिविल विविध याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था।

यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आदेश की सूचना नहीं देने के कारण, आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका और याचिकाकर्ता की ओर से कोई जानबूझकर या सुविचारित गलती नहीं है। याचिकाकर्ता के पास एक अच्छा मामला है और यदि डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4673/2017 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुना। इस सिविल विविध याचिका में बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के कारण, एतद्द्वारा इसकी अनुमति दी गई है और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4673/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4673/2017

1. कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है, विफल होने पर इस रिट यचिका को खंडपीठ के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)

(राजेश कुमार, न्याया0)